

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प शाहपुरा

प्रशासन ज्ञानों के संग्रह अधिपान-2021

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 2/10/21 व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 2/10/21 तहसील 2115/1 व जिला 2/10/21 की जमाबन्दी सम्वत् 2074 में खाता संख्या 01 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2/10/21	01	20.7.174 (अशुद्ध) 2.10.20	20.7.174 (शुद्ध) 2.10.20 20 जे.कि (11.15) ल. 2 39.48 स. ल. 11.6 25.5 20.7 29 की 1.1 लागत/अनुभव के प्रविष्टि 20.7.174 के 1.00 (1.00.20) की जाके कोस 5.50 म.प्राप्त की वर्तमान खाता रिकॉर्ड में दर्ज

(10.10.21)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

क्रमांक :- 869-870

दिनांक :- 26/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 2/10/21 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री 2/10/21 को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.
शाहपुरा

26/11/21